

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025—कार्तिक 16, शक 1947

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2025

मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम में संशोधन

क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH(BPL) .—राज्य शासन, एतद्वारा, आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ (Ayu), दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL), दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL), दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

बिन्दु क्र.	संशोधन
-------------	--------

16.4	स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड—
------	-------------------------

कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त करते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ(Ayu) दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 लागू किया जाता है।

मध्यप्रदेश एमडी/एमएस (आयुर्वेद)/ एमडी (होम्योपैथी)/एमडी (यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम में संशोधन

क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH(BPL) .—राज्य शासन, एतद्वारा, आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ (Ayu), दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में संचालित प्रवेशानुमति प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम “एम.डी./ (आयुर्वेद)/एम.एस. (आयुर्वेद) एमडी (होम्योपैथी)/ एवं एमडी (यूनानी)” में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

बिन्दु क्र.	संशोधन
16.4	स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड—
	कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त किया जाता है. उक्त के स्थान पर आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ (Ayu), दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4, यथावत् लागू रहेगा.

मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम में संशोधन

क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH(BPL) .—राज्य शासन, एतद्वारा, आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ (Ayu), दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम (बी. एन. वाय. एस.) में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL) दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

बिन्दु क्र.	संशोधन
16.4	स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड—
	कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त करते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ (Ayu) दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 लागू किया जाता है.

मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम में संशोधन

क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH(BPL) .—राज्य शासन, एतद्द्वारा, आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ (Ayu), दिनांक 10 सितम्बर 2024 एवं संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL), दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम. डी. योगा एवं नेचुरोपैथी) में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक संशोधन क्र. एफ AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL), दिनांक 2 सितम्बर 2025 द्वारा जारी नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

बिन्दु क्र.	संशोधन
16.4	स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड— कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 को निरस्त करते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-0001-2022-Sec.1-उनसठ (Ayu) दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक 16.4 का बिन्दु क्रमांक 4 लागू किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना देवड़ा, उपसचिव.